उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 29.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 29.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 29.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों, बस स्टैण्ड में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 29.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद की पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु व्यापक अभियान चलाया गया।

जनपद के समस्त थानाक्षेत्रों में पुलिस बल द्वारा बैंकों का गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें बैंक परिसर में लगे सुरक्षा उपकरणों अग्निशामक यंत्र, अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे आदि की कार्यशीलता की जाँच की गई। बैंक के आस-पास खड़े संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की भी सघन चेकिंग की गई।

इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड क्षेत्र में गश्त करते हुए विभिन्न बसों एवं ऑटो वाहनों की तलाशी ली गई एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक पूछताछ की गई। यात्रियों से संवाद स्थापित करते हुए सुरक्षा संबंधी सुझाव लिए गए एवं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास सुदृढ़ हो।

जनपद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।

इसी क्रम में आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

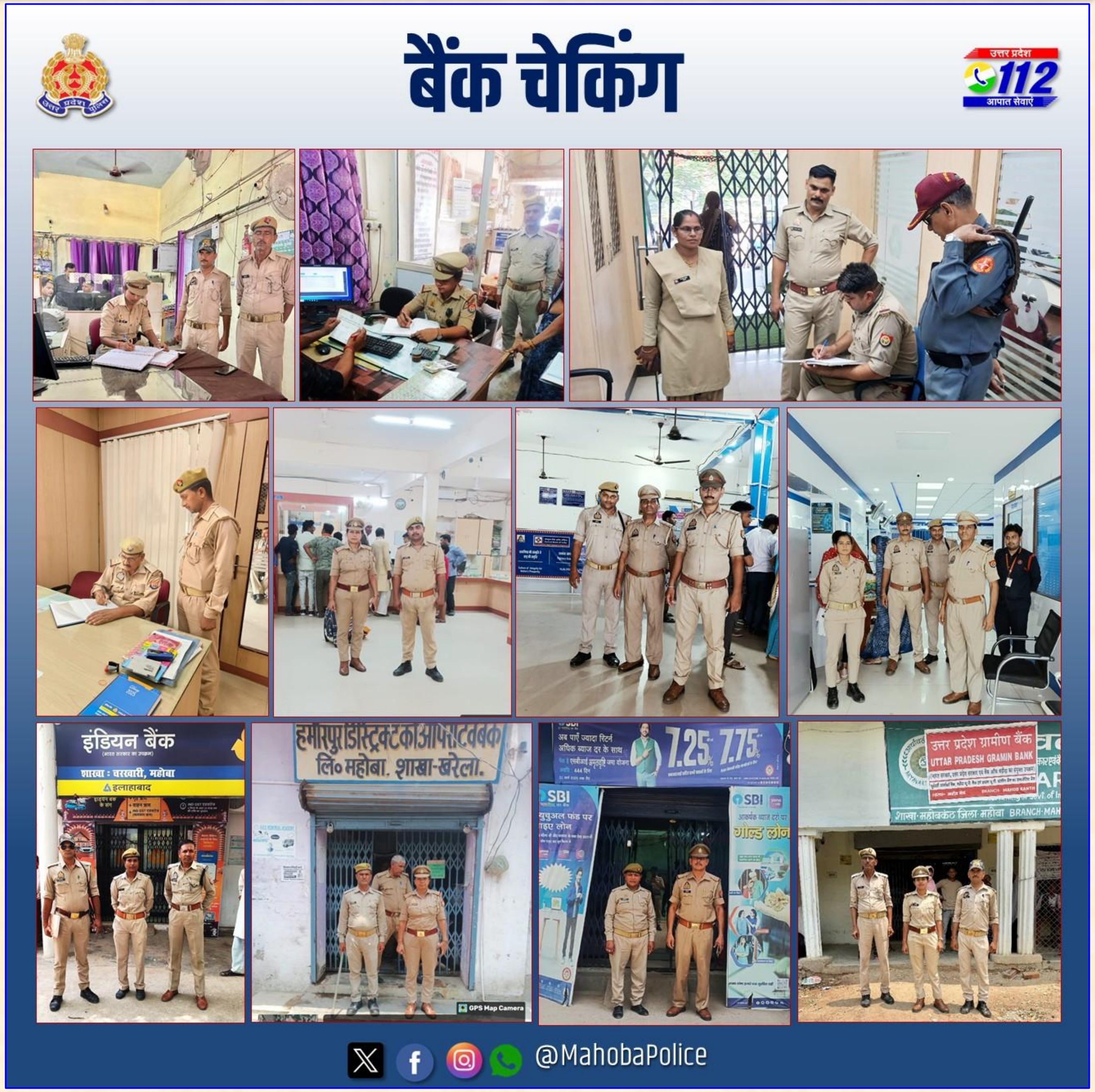

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने जिलाबदर अपराधी को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जिलाबदर/पुरस्कार घोषित/वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रचलित अभियान "ऑपरेशन धरपकड़" के तहत आज दिनांक-29.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान धवार मोड़ पर बने प्रतीक्षालय के पास से 01 नफर जिलाबदर अपराधी को आदेश श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय महोबा के वाद सं0 204/2024 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 D202307480000206 धारा 3/4 अधिनियम- उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त विकास राजपूत पुत्र बालेन्द्र राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजा़ज बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय महोबा के जिलाबदर आदेश का उलंघन करने व अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 85/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधि0 1970 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
2. हे0कां0 विनय कुमार सोमवंशी 3. हो0गा0 बृजेन्द्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

विकास राजपूत पुत्र बालेन्द्र राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 146/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महोबकंठ
2.मु0अ0सं0 188/2022 धारा 326 भादवि0 थाना महोबकंठ
3.मु0अ0सं0 144/2022 धारा 147,148,149,307,323,325,34,452,504,506 भादवि0
4.मु0अ0सं0 134/2022 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि0 थाना पनवाड़ी
5.मु0अ0सं0 443/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर
6.मु0अ0सं0 438/2024 धारा 115(2), 288, 351(2), 352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर
7.मु0अ0सं0 01/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 109, 3(5), 352 बीएनएस थाना कुलपहाड़
8.मु0अ0सं0 85/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधि0 1970 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महोबकंठ

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 29.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना खरेला के समस्त विवेचकों का अर्दली रूम किया गया, दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर आज दिनांक 29.05.2025 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड द्वारा चरखारी सर्किल के अन्तर्गत थाना खरेला के समस्त विवेचकगण एवं समस्त हल्का प्रभारियों का अर्दली रूम कर थाना स्तर में लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, निरोधात्मक कार्यवाही, जनशिकायती प्रार्थनापत्र, अपराधियों के विरुद्ध जारी NBW, BW, हिस्ट्रीशीटर, सक्रिय अपराधी, टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ की गई प्रभावी कार्यवाही, प्रचलित अभियानों और अन्य लंबित कार्यवाहियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी द्वारा थानास्तर में लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर समस्त विवेचकों से संवाद कर अकारण विवेचनाओं को लम्बित रखने वाले विवेचकों को सख्त हिदायत देते हुए अभियान के तहत विवेचनाओं का समय से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने सहित अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के तस्करों व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी, व0उ0नि0 अरविन्द उपाध्याय, समस्त विवेचकगण सहित अन्य सम्बन्धित अधि./कर्म. मौजूद रहे।